कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन) जिला-धार (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/ 431 /लो.से.प्र./2019 धार दिनांक 19 /08/2019

-: सूचना :-

राज्य लोक सेवा अभिकरण के पत्र क्रमांक 1300/रालोसेअ/प्रशासन भोपाल दिनांक 19/08/2019 द्वारा लोक सेवा केन्द्रों की निविदा में UDIN के सम्बंध में निर्देश प्राप्त हुए है, जो कि निम्नानुसार है :-

1. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों (नेटवर्थ सर्टिफिकेट) हेतु UDIN नम्बर की अनिवार्यता दिनांक 01 फरवरी 2019 से लागु है। अत: UDIN की अनिवार्यता लागू होने के दिनांक से है, पूर्व की तिथि में जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट में नहीं है।
2. लोक सेवा केन्द्रों की निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 04 जून 2019 थी, अत: उक्त तिथि के पश्चात जारी नेटवर्थ सर्टिफिकेट को निविदा में शामिल नहीं किया जाए।
3. यदि निविदाकार के पास दिनांक 04 जून 2019 से पूर्व की तिथि का नेटवर्थ सर्टिफिकेट है, जिसका UDIN निविदाकार के पास उपलब्ध है। उक्त स्थिति में उसे मान्य किया जाए।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 423/लो.से.प्र./2019 धार दिनांक 14/08/2019 अनुसार तकनिकी निविदा में मान्य/अमान्य निविदाकारो की सूची जारी कि गई थी। राज्य लोक सेवा अभिकरण से प्राप्त उक्त निर्देशानुसार सभी निविदाकार जो तकनिकी निविदा में UDIN नम्बर की वजह से अपात्र पाए गए है, दिनांक 20/08/2019 समय सांय 05:00 बजे तक UDIN युक्त नेटवर्थ सर्टिफिकेट (Online verification receipt) सहित कार्यालय में प्रस्तुत करें। नेटवर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के सम्बंध में शासन से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 का पालन होना अनिवार्य है।

नियत समययावधि के उपरांत निविदाकार द्वारा UDIN नम्बर युक्त नेटवर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करने की दशा में निविदाकार को अयोग्य मानते हुए निविदाकार का निविदा प्रपत्र निरस्त माना जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला-पंचायत धार (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/432/लो.से.प्र./2019 धार दिनांक 19 /08/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला-धार की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना जिले की वेबसाईट www.dhar.nic.in पर अपलोड करें।
4. एक प्रति पोर्टल mpedistrict.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
5. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला-पंचायत धार (म.प्र.)